राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2022/51799 जयपुर, दिनांकः– 22.08.2022

कार्यालय आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा में वर्ष, 2021–22 में शामिल होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं	नाम अधिकारी /कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससें सम्बन्धित है।	कक्षा
1.	श्री रणछोड कुमार गर्ग	परिवीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी	सहायक निदेशक, सान्याअवि, राजसमन्द	M.A. Hindi (Previous)
2.	श्रीमती निर्मला कुमारी	छात्रावास अधीक्षक	सहायक निदेशक, सान्याअवि, नागौर	PH.D. (6 Month Regular Course Work)
3.	श्री मुकेश चौधरी	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, पाली	B.A. IIIrd year
4.	श्रीमती मन्जू कुमारी मीणा	कनिष्ठ लेखाकार	सहायक निदेशक, सान्याअवि, भीलवाड़ा	NET(UGC)
5.	श्री मांगीलाल मीना	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, पांचू बीकानेर	B.LIS.
6.	श्री देवेन्द्र वर्मा	कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक, सान्याअवि, अलवर	M.A. Final
7.	श्री सुनील कुमार	सहायक कर्मचारी	सहायक निदेशक, सान्याअवि, सीकर	12th & RKCL

शर्तेः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

/

8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत अधिक होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नही होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवंश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगें।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(हरिमोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2022/51800-47 जयपुर, दिनांकः– 22.08.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.................. ।
7. अधीक्षक/सम्प्रेक्षण गृह/किशोर गृह/शिशु गृह, सान्याअवि.................................. ।
8. सम्बधित अधिकारी/कर्मचारी श्री.. ।
9. सयुंक्त निदेशक, आई.टी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
10. कार्यालय पत्रावली।

अति. निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)